घटना | लोगों का शोर सुनकर भागा तेंदुआ

गाय के बछड़े पर तेंदुआ ने किया हमला

ईस्टलैंड खमरिया के पास का मामला

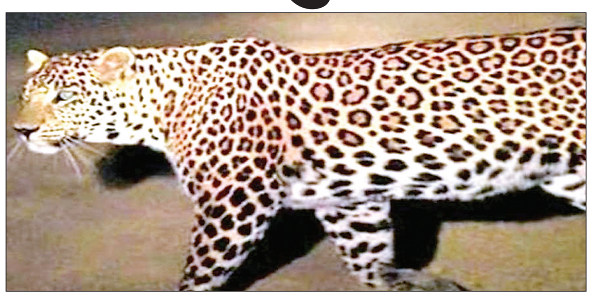

नवभारत,जबलपुर। ईस्टलैंड खमरिया स्थित एन टाइप पुराने स्कूल परिसर के पास तेंदुए ने गाय के बछड़े पर हमला करते हुए उसका गला दबाया। जिसके बाद बछड़े का शोर सुनकर स्थानीय लोग सुबह करीब साढे चार बजे जागे और फिर उन्होनें शोर मचाया। लोगों का शोर सुनते ही तेंदुए ने बछड़े को छोड़ा और भाग निकला। इस हमले में गाय के बछड़े के गले में गंभीर चोटें आईं हैं। स्थानीय लोगों व ओएफके के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से खमरिया व आसपास के इलाके में कई तेंदुओं का मूवमेंट काफी हो चुका है जिस कारण आम जनजीवन बिल्कुल बिगड़ गया है।

लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि तेंदुओं को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा जाए जिससे वे राहत की सांस ले सकें और बिना डर के जीवन जी सकें। गाय के बछड़े पर तेंदुआ द्वारा हमले के मामले में हैरानी की बात तो ये है कि वन विभाग के पास इतनी बड़ी घटना की कोई जानकारी ही नहीं है जबकि एन टाइप पुराने स्कूल के कर्मचारी का स्पष्ट कहना है कि उसकी गाय के बछड़े पर तेंदुए ने हमला किया है और उसने वन विभाग के किसी कर्मचारी को इसकी सूचना भी दी थी। संदीप, मायाबाई, सोमनाथ सहित अन्य ने नवभारत को बताया कि वे शाम ढलते ही अपने-अपने बच्चों को घरों में कैद करने मजबूर हो चुके हैं। ये सब तेंदुओं के आतंक से ही हुआ है।

रस्मअदायगी कर रहा वन विभाग

गौरतलब है कि इसके पहले आयुध निर्माणी खमरिया, जीसीएफ के पास तेंदुए की चहलकदमी देखी जा चुकी है लेकिन वन विभाग ने अभी तक एक भी तेंदुए को नहीं पकड़ा है जिससे स्थानीय लोगों व फैक्टरी के कर्मचारियों को राहत मिले। हकीकत जाने तो जिम्मेदार वन विभाग सिर्फ एक पिंजरा लगाकर रस्मअदायगी कर चुका है जिसका नतीजा है कि शिकार की तलाश में तेंदुआ जंगल से बाहर निकल रहा है और कभी रिहायशी इलाकों में नजर आ रहा है तो कभी गाय या बछड़े पर हमला कर रहा है।

इनका कहना है

तेंदुए के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीम सक्रिय है। ईस्टलैंड खमरिया स्थित एन टाइप पुराने स्कूल परिसर में गाय के बछड़े पर तेंदुए द्वारा हमले की जानकारी वन विभाग के पास नहीं आई है।

अपूर्व शर्मा
वन परिक्षेत्र अधिकारी

पमरे से 43 ट्रेनें चलेंगी

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम रेलवे द्वारा पश्चिमी मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 231 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। मध्य रेलवे (सीआर) द्वारा 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे कुल 160 सेवाओं का संचालन करेगा।पश्चिम मध्य रेलवे ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण रेलवे द्वारा 39 होली स्पेशल ट्रेनें और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 15 सेवाएं संचालित की जाएंगी। क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे द्वारा 9 और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर रेलवे द्वारा 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 71 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना तैयार की गई है।कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करते हुए, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 66 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे दोनों ही 62-62 ट्रेनें चलाएंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा 47 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

प्रकरण में आरोप तय होने के बाद आरोपी बनाना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल

हाईकोर्ट ने सेशन ट्रायल कोर्ट का आदेश किया निरस्त

जबलपुर। अपराधिक प्रकरण में सेशन कोर्ट द्वारा आरोप तय किये जाने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी बनाते हुए समन जारी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। सेशन ट्रायल कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आरोप तय कर दिये थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से पेष आवेदन पर पुन संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता पिता-पुत्र के नाम अपराधियों की सूची में शामिल करने के आदेश जारी यिके। आरोप तय होने के बाद प्रकरण पर दूसरी बार संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

छतरपुर जिले के ग्राम मुंडेरी निवासी गणेश प्रसाद गर्ग तथा उनके पुत्र बबलू मिश्रा की तरफ से दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि लवकुष नगर थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में सेशन ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए गवाही निर्धारित की थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता पक्ष से जितेन्द्र मिश्रा ने उन्हें आरोपी बनाने आवेदन पेष किया था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए उनके नाम आरोपियों की सूची में जोड़ने के आदेश देते हुए समन जारी कर दिय। आपराधिक प्रकरण में आरोप तय होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों की सूची में उनका नाम जोडने तथा समन जारी करना न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित नही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियोजन के द्वारा पेष आरोपियों की सूची में उनका नाम नहीं था। पुलिस विवेचना में भी यह पाया गया था कि वह घटनास्थल में मौजूद नहीं थे। चुनावी रंजिष के कारण उन्हें फंसाया गया है। आवेदक बब्बू मिश्रा की पत्नी गांव की सरपंच है। शिकायतकर्ता की आवेदक गणेश प्रसाद मिश्रा के परिवार के सदस्य है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेशन कोर्ट ने पहली ही संज्ञान लेते हुए चार्जशीट के साथ अटैच पुलिस दस्तावेज पर विचार करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए गवाही प्रारंभ करने के आदेष जारी किये थे। ट्रायल कोर्ट द्वारा पुन संज्ञान लेते हुए समन जारी करना कानून प्रक्रिया के तहत नहीं है। कानून के हिसाब से इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है और आदेष को निरस्त किया जाता है।

साक्ष्य छिपाने शिकारियों ने डैम में फेंका था शव

शिकार करने बिछाए गए करंट की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत

गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत बधुआ डैम में तार व पत्थर से बंधी लाश कम्बल में लपेट कर फेंकने का मामला पुलिस सुलझा लिया है। जंगली जानवरों का शिकार करने बिछाये गए जीआई तार से बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हुई थी। शिकारियों ने साक्ष्य छिपाने शव को कंबल के अंदर लपेट कर डैम के पानी में फेंका था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

विदित हो कि 1 फरवरी को श्रीमति गिन्दी बाई टेमरे 45 वर्ष निवासी घुघरा ने कुंडम पुलिस को सूचना दी कि वह खेती किसानी करती है उसके दो बेटे एक बेटी है छोटा बेटा कपिल टेमरे 26 वर्ष खेती किसानी करता है। 30 जनवरी की रात लगभग 8 बजे बेटा कपिल खाना खाकर खेत में दवाई डालने की कहकर डिब्बा लेकर महेन्द्र उर्रेती के साथ खेत चला गया था जो रात में घर वापस नहीं आया था। महेन्द्र से कपिल ने कहा था कि दो घंटे बाद आ जाउंगा लेकिन वापिस नहीं लौटा था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था जिसके बाद कुंडम पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी 13 फरवरी को बदुआ डेम में गोताखारों से सर्चिंग कराने के दौरान तालाब के पानी के अंदर कंबल से लिपटा हुआ जीआर तार से बंधा एक शव मिला था। कंबल के अंदर लगभग 2-3 क्विंटल वजनी के पत्थर भरे हुये थे। जिसकी पहचान कपिल टेमरे के रूप में हुई थी।

शव लपेट कबंल की सिंलाई कर फेंकी थी लाश

कपिल की मौत के बाद भाग सिंह, राजू, मुन्ना उर्फ रामकुमार मरावी और गुलजार द्वारा कपिल टेमरे के शव को कंबल में रखकर शव के साथ पत्थर रखकर उसी जीआई तार से सिर से पैर तक बांधकर एवं जगह जगह सिल कर बदुआ डेम के पानी में छिपाने के उद्देश्य से फैंक दिया थिा।

महेन्द्र-लम्मन को पता था करंट बिछा है फिर भी ले गए, दो को लगा था करंट

पुलिस ने मृतक रवि कुमार टेमरे के परिजनों के बयान लिया जिसमें यह बात सामने आई कि 30 जनवरी को महेन्द्र उर्रेती एवं लम्मन सिंह द्वारा यह जानते हुये कि भाग सिंह, राजू, मुन्ना उर्फ रामकुमार मरावी और गुलजार ने खेत तरफ जीआईतार बिछाये हैं फिर भी कपिल टेमरे, दिपू कडोपा को बिना बताये आगे आगे खेत तरफ ले गये। खेत किनारे जंगल के पास जंगली जानवरों के शिकार के लिये बिछाये गए करंट की चपेट में कपिल टेमरे एवं दीपू कडोपा आ गए। कपिल टेमरे की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि दीपू कडोपा बेहोश हो गया था।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

टीआई सतीष अंधवान ने बताया कि मामले में गैर इरादतन हत्या, विद्युत अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी लम्मन सिंह कडोपा 32 वर्ष, राजू सिंह उद्दे 41 वर्ष, रामकुमार उर्फ मुन्ना मरावी 32 वर्ष, गुलजार सिंह बरकड़े 39 वर्ष, भाग सिंह मार्को 38 वर्ष, महेन्द्र सिंह 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम घुघरा को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया।

गोहलपुर थाने में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला

फरार पार्षद समेत पांच पर ईनाम घोषित

नवभारत, जबलपुर। गोहलपुर थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार पार्षद शफीक हीरा समेत उसके भांजे युसुफ जावेद खान के साथ कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनाम घोषित कर दिया है।

विदित हो कि मोहम्मद असलम मोहम्मद असलम पिता स्व. मोहम्मद जब्बार निवासी गिरनार अपार्टमेंट प्लैट न.2 ग्राउण्ड फ्लोर तैय्यब अली पेट्रोल पम्प के सामने नेपियर टाउन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बैतला स्थित खसरा न 86/31 प्लाट न.98 का कुल रकवा 2400 वर्गफुट का प्लाट है। जिसकी युसुफ जावेद खान व उसके सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवाई थी। पार्षद शफीक हीरा एवं उसके भांजे युसुफ जावेद ने पीड़ित को धमकाया था। मारपीट भी की थी। मामले में गोहलपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में चार आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है युसुफजावेद खान पिता नसीम 27 वर्ष, आयुष दुबे पिता उदय प्रकाश दुबे 27 वर्ष, सफीक खान उर्फहीरा पिता मोह. सगीर 42 वर्ष सभी निवासी आंनद नगर गोहलपुर, टीपू पिता जहीर खान 28 वर्ष निवासी अमखेरा रोड सालीमार लॉन अधारताल, असगर अली पिता हैदर अली 34 वर्ष निवासी रद्दी चौकी गोहलपुर फरार है जिनकी गिरफ्तार अब पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है।

एक्सीडेंट में युवक की मौत

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत ग्राम घनघौर बहेरिया के बीच हुए एक्सीडेंट में युवक की मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को प्रकाश चौधरी 46 वर्ष निवासी देवनगर थाना गोटेगांव ने सूचना दी कि ग्राम घनघौर बहेरिया के बीच उसके भांजा श्रीनाथ अहिरवार 25 वर्ष निवासी ग्राम दरोली थाना तेंदुखेड़ा जिला दमोह का सड़क दुर्घटना में घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था दौरान उपचार के भांजा श्रीनाथ अहिरवार की मौत हो गयी।

जबलपुर रेल मंडल में 7 हज़ार से अधिक मामलों पर हुई कार्रवाई

जबलपुर। जबलपुर रेल मंडल द्वारा स्वच्छता के प्रति यात्रियों में जागरूकता लाने एवं रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। मंडल के अंतर्गत सभी प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में जबलपुर मंडल में कुल 7,285 मामलों में कार्रवाई की गई, जिससे रेलवे को रुपए 14 लाख 58 हजार 345 से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। केवल जनवरी माह में ही 552 यात्रियों को ट्रेनों या स्टेशनों पर गंदगी फैलाने के लिए पकड़ा गया, जिन पर आर्थिक दंड लगाकर रेलवे को रुपए 1 लाख 10 हजार से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

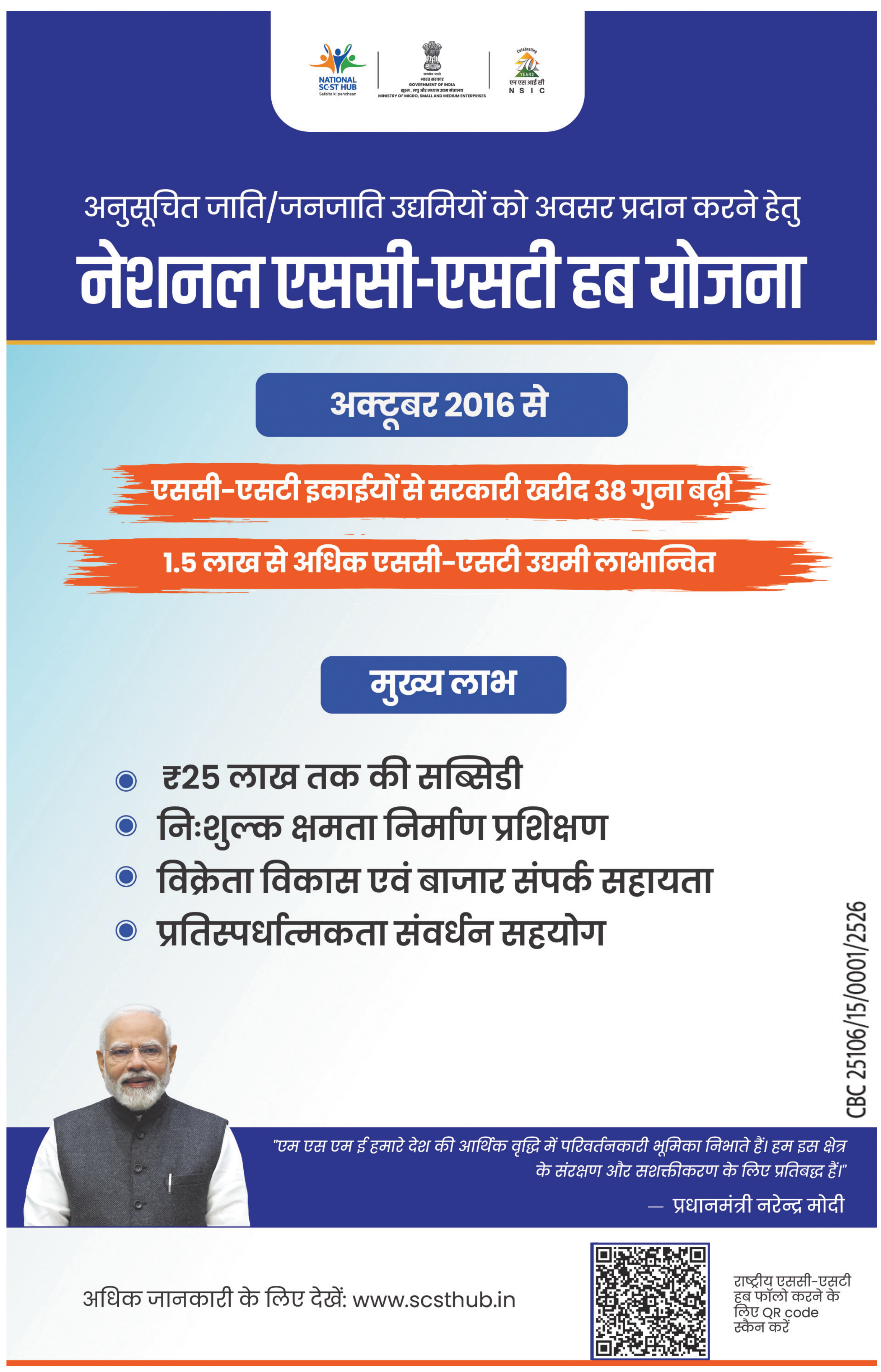

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57